

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 148/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पूराराम पुत्र पदमाराम,		1. भोमाराम पुत्र जगमालराम,
2. खमादेवी पत्नी पूराराम, उम्र प्रार्थीगण बालिंग, कौम जाट, निवासी निरियानाडा, पटवार मण्डल पांयला कलां तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		2. खरथाराम पुत्र जगमालराम, 3. रामाराम पुत्र शेराराम, 4. उदाराम पुत्र शेराराम, 5. खेताराम पुत्र देरामाराम, 6. राणाराम पुत्र देरामाराम, 7. चुनीदेवी पत्नी देरामाराम, 8. मालाराम पुत्र खीमाराम, कौम जाट, निवासी निरियानाडा, पटवार मण्डल पांयला कल तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 9. ओमाराम पुत्र जोगाराम, 10. जोगाराम पुत्र मोटाराम, 11. भलाराम पुत्र कोलाराम, उम्र विप्रार्थीगण सभी बालिंग, कौम कुम्हार, निवासी निरियानाडा, पटवार मण्डल पांयला कल्ला तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

- श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 04.12.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा निरियानाडा पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 717/691,723/688 रकबा कमशः 3.5893, 0.9081 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा निरीयानाडा पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 717/691,723/688 रकबा क्रमशः 3.5893, 0.9081 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा निरीयानाडा पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 717/691,723/688 रकबा क्रमशः 3.5893, 0.9081 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा निरीयानाडा पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 717/691,723/688 रकबा क्रमशः 3.5893, 0.9081 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा निरीयानाडा पटवार मण्डल पायलाकला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 717/691,723/688 रकबा क्रमशः 3.5893, 0.9081 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

3
न्यायालय सिणधरी
सिणधरी

हाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा निरीयानाडा पटवार मण्डल गायलाकला तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 717/691,723/688 रकबा क्रमशः 3.5893, 0.9081 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी